संख्या-118/996/84-1-13-18बामा/2012टीसी

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 11 दिसम्बर, 2013

विषय- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-360/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2013-14, दिनॉक 25 सितम्बर, 2013 तथा पत्र संख्या-361/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2013-14, दिनॉक 25 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 27,60,000 (सत्ताइस लाख साठ हजार रूपये) मात्र को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-03-अधिष्ठान व्यय-03-मंहगाई भत्ता, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-03-अधिष्ठान व्यय-06-अन्य भत्ते, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-03-अधिष्ठान व्यय-14-मोटर गाडियों का क्रय, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-03-अधिष्ठान व्यय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में हो रही बचतों से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियम-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/1333/दस-2013, दिनॉक 10 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-118/996(1)/84-1-13 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -लेखाशीर्ष 3475- के अन्तर्गत नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0 का अधिष्ठान) वित्तीय वर्ष 2013-14

(भारत सरकार द्वारा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु आबंटन का प्रस्ताव) (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-00-106-03-00-01	112699	63699	910	910	111789
3475-00-106-03-00-03	93540	49000	300	300	93240
3475-00-106-03-00-06	13524	8008	900	900	12624
3475-00-106-03-00-14	600	600	50	50	550
3475-00-106-03-00-26	2000	100	600	600	1400
योग-	222363	121407	2760	2760	219603

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-00-106-04-00-42	--	2760	2760	2760	2760
योग-	--	2760	2760	2760	2760

(1) स्तम्भ-3 में बचतों का कारण संबंधित मदों में अब तक अपेक्षित बिल प्राप्त न होना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि राज्य उपभोक्ता हैल्प लाइन की स्थापना/संचालन में व्यय हेतु अपेक्षित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 160/ई-7-1333/दस-2013 दिनॉक 10 दिसम्बर, 2013
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- /996(2)/84-1-13-18बामा/2012 दिनॉक 11 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in